न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :—श्रीमती शकुंतला चौधरी आर.ए.एस.

मि0न0 — 44/22

अनवान : —

1. पृथ्वीसिंह पुत्र झिण्डुराम जाति जाट निवासी छानी बड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

प्रार्थी

बनाम्

1. सिलोचना पत्नी पृथ्वीसिंह जाति जाट निवासी छानी बड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
2. अनु पत्नी राजकुमार जाति सोनी निवासी सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
3. अनुराग पुत्र लालचन्द जाति सुथार निवासी छानी बड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
4. क्रिस पुत्र हनुमान जाति जाट निवासी छानी बड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
5. चतरसिंह पुत्र लालचन्द जाति जाट निवासी न्यांगल तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
6. धापा पुत्री गोपीराम जाति जाट निवासी छानी बड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
7. पुनमचन्द पुत्र रूपराम जाति कुम्हार निवासी छानी बड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
8. प्रहलाद पुत्र मनीराम जाति खाती निवासी भिरानी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
9. रचना पत्नी रणधीर जाति जाट निवासी छानी बड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
10. सतवीर सिंह पुत्र झिण्डुराम जाति जाट निवासी छानी बड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
11. सुभाषचन्द्र पुत्र रूलीचन्द जाति महाजन निवासी छानीबड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :— श्री कपूरचन्द शर्मा प्रार्थी

निर्णय दिनांक: 1/9/22

संक्षेप में प्रार्थना के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के नाम चक 6 सीएचएन के खाता सं0 110 के मु0न0 2 के किला न0 14 ता 17, 24, 25 मु0न0 3 के किला न0 11, 20, 21 मु0न0 13 के किला न0 1/1, 1/2, 10/1, 10/2 मु0न0 14 के किला न0 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7/1, 7/2 की कुल 3.7950है0 खातेदारी है। जिसमें आवागमन के लिए प्रार्थी 4 सीएचएन के मु0न0 31 के किला न0 20, 21/1 तथा चक 6 सीएचएन के मु0न0

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

3 के किला न0 1, 10 से रास्ता का उपयोग करता है जो सदामत से चालू रास्ता है। अतः प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन के लिए उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का कानूनी अधिकारी है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण ने जरिये शपथ पत्र अपनी सहमति प्रदान की। मुताबिक सहमति अप्रार्थीगण ने स्वीकार किया कि सहखातेदार सिलोचना पत्नी पृथ्वीसिंह यदि अपने हिस्सा में से उक्त किला में भूमि रास्ता की एवज में दर्ज करें तो हमें कोई आपति नहीं होगी। तथा अप्रार्थी सतवीर ने भी अपनी कृषि भूमि में रास्ता स्वीकृति हेतु सहमति प्रदान की है।

बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थी को अपनी खातेदारी में प्रवेश के लिए प्रस्तावित रास्ता की अत्यधिक आवश्यकता है, मुताबिक पटवार हल्का रिपॉर्ट रास्ता स्वीकृत किया जावें ताकि प्रार्थी को अपनी खातेदारी के उपयोग--उपभोग में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रार्थी ने चक 6 सीएचएन के खाता सं0 110 के मु0न0 2 के किला न0 14 ता 17, 24, 25 मु0न0 3 के किला न0 11, 20, 21 मु0न0 13 के किला न0 1/1, 1/2, 10/1, 10/2 मु0न0 14 के किला न0 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7/1, 7/2 की कुल 3.7950है0 खातेदारी है। जिसमें आवागमन के लिए प्रार्थी 4 सीएचएन के मु0न0 31 के किला न0 20, 21/1 तथा चक 6 सीएचएन के मु0न0 3 के किला न0 1, 10 से रास्ता का उपयोग करता है जो सदामत से चालू रास्ता है। उक्त रास्ता को प्रार्थी स्वीकार करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है। अप्रार्थीगण ने अपने शपथ पत्रों में सहमति प्रदान की है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र उपरोक्त विवेचानुसार स्वीकार योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 251ए आरटीएक्ट स्वीकार किया जाकर तहसीलदार भादरा को आदेशित किया जाता है कि वे चक 4 सीएचएन के मु0न0 31 के किला न0 20 व 21/1 प्रत्येक किला में 0.050है0 पश्चिम की ओर उतर से दक्षिण तथा चक 6 सीएचएन के मु0न0 3 के किला न0 1 व 10 प्रत्येक किला में से 0.050है0 पश्चिम की ओर उतर से दक्षिण रास्ता का अंकन राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे। तथा उक्त रास्ता की एवज में भूमि मु0न0 31 के किला न0 20 से कम की जाकर खातेदार सिलोचना के हिस्से से कम की जावें। तथा मु0न0 31 के किला न0 21/1 से रास्ता की भूमि कम की जाकर खातेदार पृथ्वीसिंह के हिस्सा से कम की जावें व मु0न0 3 के किला न0 1–10 से रास्ता की भूमि कम की जाकर रास्ता की एवज की भूमि खाता स0 110/34 में पृथ्वीसिंह के चिपते किला में से कम की जाकर खाता सं0 144/110 में सतवीर पुत्र झिण्डुराम के हिस्सा में दर्ज की जावें।

निर्णय आज दिनांक 09/09/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शकुंतला चौधरी)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़